न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 11/2018

मथुरालाल पुत्र श्री देवलाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.... वादी

Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. दीनदयाल पुत्र देवलाल जाति माली निवासी पुराने अस्पताल के पास मालियों के मंदिर के पास सीसवाली तहसील मांगरोल
2. मोहनलाल पुत्र देवलाल जाति माली निवासी अम्बेडकर नगर कोटा जिला कोटां
3. इन्द्रा बाई पुत्री रामलखन पत्नि रमेशचन्द जाति माली निवासी जोलपा रोड सांगोद जिला कोटा
4. गायत्री पुत्री रामलखन पत्नि गिर्राज माली निवासी चांदखेडी रोड खानपुर जिला झालावाडा
5. सुशीला बाई पुत्री रामलखन पत्नि सत्यानारायण निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 व 53 आर.टी.एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायर दिनांक–06.02.2018 निर्णय दिनांक : 07.06.2018

वादी ने कथन किया कि खाता संख्या 827 ग्राम सीसवाली में कुल किता 6 रकबा 2.16 है0 आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 के शामलाती खाते में दर्ज है। वादी ने वाद पत्र में आगे कथन किया कि खसरा नं0 3669 रकबा 0.73 है0 दक्षिणी हिस्से पर वादी काबिज काश्त है, और वर्तमान में काश्त कर रहा है। सहखातेदार रामगोपाल ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 से खसरा नं0 3669 रकबा 1.46 है0 में से 1/2 हिस्सा 0.73 है0 आराजी पृथक कराकर अपने खाते दर्ज करा लिया। आधा हिस्सा 0.73 है0 रकबा पृथक हो जाने से वादी शेष रकबे 0.73 है0 दक्षिणी हिस्से पर काबिज काश्त है। जिसको वादी पृथक से अपने खाते दर्ज कराना चाहता है।

आगे कथन किया कि वादी का ग्राम भटेडी तह0 मांगरोल में स्थित आराजी 1.86 है0 में वादी का कोई हिस्सा नही है। क्याकि वादी ने ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित आराजी में हिस्सा प्राप्त कर लिया है आराजी 2.16 है0 में वादी का 1/3 हिस्सा बनता है जो कि 0.73 है0 बनता है क्योकि पूर्व में ...2015 व 15.07.2015 के अनुसार पूर्व सहखातेदार रामगोपाल ने अपना हिस्सा खसरा

सहखातेदारो के महज कब्जे काश्त व कर्ता पिलाई को लेकर आपस में मन मुटाव व लडाई झगडा होने लगा है जिससे वादी अपना हिस्सा पृथक कराना चाहता है और न्यायालय से प्रार्थना प्रार्थना की कि खसरा नं0 3669 रकबा 0.73 है0 दक्षिणी हिस्से को वादी के खाते में दर्ज कर दिया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से एडवोकेट चन्द्रप्रकाश पारेता ने वकालतनामा पेश किया शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार सीसवाली केम्प में प्रस्तुत हुई वादी के पुत्र हरिशंकर ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी मथुरालाल लकवा बिमारी से पीडित होने से चलने फिरने मे असमर्थ में मरनासन्न अवस्था में बिस्तर पर है। उपरोक्त परिस्थिति में फैसला करने का निवेदन किया।

न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 29.04.2015 व 15.07.2015 का अवलोकन किया व बंटवारा स्कीम तहसीलदार मांगरोल को ध्यान पूर्वक देखा पूर्व निर्णय अनुसार खसरा नं0 3669 रकबा 1.46 है0 में से 0.73 है0 आराजी उत्तरी दिशा की पूर्व सहखातेदार रामगोपाल के पृथक खाते में दर्ज कर दी है शेष रकबा 0.73 है0 आराजी पर वादी काबिज काश्त है। बंटवारा स्कीम पत्रावली के साथ संलग्न है।

वादी अपना हिस्सा ही पृथक कराना चाहता है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादी सहखातेदार है अतः न्यायालय वादी का हिस्सा पृथक करना न्यायोचित समझता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 827 ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में दर्ज शामलाती खाते की आराजी खसरा नं0 1894 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 2108 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 2110 रकबा 0.13 है0 खसरा नं0 2111 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 3669 रकबा 0.73 है0 दक्षिणी खसरा नं0 3678 रकबा 1.21 है0 कुल किता 6 रकबा 2.16 है0 में से खसरा नं0 3669 रकबा 0.73 है0 दक्षिणी दिशा आराजी खाते में से पृथक की जाकर पृथक से वादी के खाते में दर्ज की जावे पृथक से लगान कायम किया जाकर नक्शा तरमीम किया जावें। पर्चा डिकी बनायी जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प सीस